रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—72 REGISTERED No. D. (D.N.)—72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 219] नई दिल्ली, शनिवार, मई 29, 1982/ज्येष्ठ 8, 1904
NO. 219] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 29, 1982/JYAISTHA 8, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 1982

का० आ० 273(अ).—केन्द्रीय सरकार, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 5 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी यह राय होने पर कि ऐसा करना आवश्यक है, एक "विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण" गठित करती है जिसमें बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री दीनशाह नसरवान जी मेहता होंगे।

[सं० II/17017/11/82-आई एस-यू. एस-डी-II]

जी० एस० ग्रेवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th May, 1982

S.O. 375(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government, being of opinion that it is necessary so to do, hereby constitutes the 'Unlawful Activities (Prevention) Tribunal' consisting of Shri Justice Dinshaw Nusserwanji Mehta, Judge of Bombay High Court.

[No. II|17017|11|82-IS-US.D-II]

G. S. GREWAL, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982